करी कर रहा था। से गिरफ्तार किया ...

रेरा की पत्रिका रूबरू का पहला अंक प्रकाशित

रेरा बिहार की त्रैमासिक पत्रिका रू-ब-रू के पहले अंक का विमोचन करते रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं अन्य। ● जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने सोमवार को प्राधिकरण की त्रैमासिक पत्रिका रू-ब-रू के पहले अंक का विमोचन किया। रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने पत्रिका का विमोचन करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भू-संपदा क्षेत्र के हितधारकों को रेरा अधिनियम के विषय में जागरूक करना है।

विवेक सिंह ने कहा कि पत्रिका को इसी ढंग से तैयार भी किया गया है कि हितधारकों को काम की सूचना आसानी से मिल जाए। ताकि, वे रेरा अधिनियम के प्रविधानों का पालन आसानी से कर सकें। पत्रिका में रेरा बिहार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों यथा प्रमोटरों द्वारा बनाए जाने वाले एलआटी एसोसिएशन, प्रोजेक्ट निबंधन के आवेदन के साथ प्रमोटरों द्वारा दी जाने वाली संपत्ति से संबंधित विवरण की फार्म का प्रारूप, प्रोजेक्ट के अकाउंट खोलने संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया, क्यूआर कोड का प्रदर्शन विस्तार से किया गया है। इसके अलावा पत्रिका में रेरा बिहार द्वारा वर्ष 2024 में अधिसूचित विनियमावली के प्रमुख प्रविधानों की जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि आशा करते हैं कि इस पत्रिका का लाभ सभी हितधारक उठाएंगे एवं रेरा अधिनियम एवं प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का पालन करेंगे, ताकि राज्य में भू-संपदा के नियमों का पालन प्रभावी ढंग से हो सके। पत्रिका सभी निबंधित प्रमोटरों को भी भेजी जाएगी।